

जनसत्ता

25 मार्च, 2023

17



**एसआईसीओएम लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय: सीओएनएच कॉर्पोरेट पार्क, बिल्डिंग नं. 4,  
चकला, अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400083, फोन नं.: -(022) 66672 700

**एमवीएल लिमिटेड की संपत्ति की बिक्री के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)**

एसआईसीओएम लिमिटेड, एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान द्वारा रिविस चुनौती पद्धति के तहत सारफेसी अधिनियम के प्रावधान के संदर्भ में सेक्टर 15 (पप), 32वें माइल स्टोन के पास, ग्राम सिलोखरा, तहसील और जिला: गुडगांव, हरियाणा में एमवीएल आईपार्क की पहली मंजिल (2 विंग्स) पर स्थित 23987 802 वर्ग फुट की सुपर निर्मित क्षेत्र वाली वाणिज्यिक संपत्ति को 'जैसा है जहां है, जैसा है, जो कुछ भी है और बिना रिकॉर्स के आधार पर' और बिना किसी वारंटी और पहचान के आधार पर 'खरीद के लिए इच्छुक पार्टियों से प्रस्ताव मूल्य के 1: वाली ईएमडी के साथ 20 अप्रैल, 2023 तक रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण और बिक्री के नियम एवं शर्तें हमारी वेबसाइट [www.sicomindia.com](http://www.sicomindia.com) पर उपलब्ध हैं। उच्चतम प्रस्ताव वाली पार्टी को बाद में आयोजित की जाने वाली संपत्तियों की नीलामी में रिविस चुनौती के तहत इनकार करने का पहला अधिकार प्राप्त होगा।

स्थान- मुंबई

दिनांक- 25 मार्च, 2023

(प्राधिकृत अधिकारी)

एसआईसीओएम लिमिटेड

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)  
समा प्रतिभूति हित प्रवर्तन  
साथ पठित वक्त अधिनियम  
(आईआईएफएल एचएचए  
धारा 13(2) के अंतर्गत  
एचएचए अधिनियमों को  
दर्शाई गई शक्ति का इस्तेमाल  
तथा अधिनियम के पुनर्निर्माण

अध्यापकों, गणना

उप-प्राधिकारी

श्रमती संतोष कुमारी,  
सुब्री भूमि यादव श्री हेम  
परफेक्ट कलर लैब एंड  
देवी, श्री रामसर्जनीयन यादव  
देवी (प्रसिद्ध नं.)

यदि उक्त अध्यापक उप  
अध्यापकों की जोखिमों  
परिस्मृतियों के विरुद्ध क  
रोड, न्यूआर शो रूम के  
टावर, प्लॉट नं. 98, उद्योग  
स्थान : दिल्ली तिथि :



**भारतीय स्टेट बैंक**

आरएसीपीसी

सीपी-123, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

**कब्जा नोटिस (नियम 6(1) के अन्तर्गत चल सम्पत्ति)**

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा वित्तीय आस्ति  
पुनः संरचना तथा प्रतिभूति हित का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 (अधिनियम नं. 54) के अन्तर्गत प्राप्त अधि  
हुए उक्त अधिनियम की धारा-13(2) एवं 13(12) सहपठित नियम 8 एवं 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित खातों  
अंकित तिथि को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अन्दर नोटिस में उचित राशि अदा करने